

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

श्री राकेश अरोड़ा	दुकान या कार्यावाही मय हस्ताक्षर श्री भीष्मराम चौधरी 01से 04	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुकान की तामिल जारी हुए
16.05.2025	<p>भैरू मूतक हरकरण बनाम मनफूली वगैरह (2023/190) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 06.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	
09.06.2025	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। वकूलाय उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 07.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया।</p> <p>अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन प्रार्थी/अपीलांत के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देशी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। अतः प्रार्थी/अपीलांत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।</p> <p>तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था जिसे दिनांक 19.12.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किये गये थे। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र में नियमित रूप से तारीख पेशी दी जाती रही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका था। दिनांक 01.05.2018 को प्रकरण कैम्पकोर्ट ममाणा में नियत था, जिसे प्रार्थी/वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसके विरुद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न नोटिस का अवलोकन किया वादी भैरू पुत्र जोरिया को एवं प्रतिवादी संख्या मनफूली पत्नि पोलूराम को जारी नोटिस नाथू नाम के व्यक्ति को तामिल करवाया गया है जो प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय प्राथी एवं अप्रार्थी संख्या 01 दोनो का नोटिस एक व्यक्ति द्वारा लिया जाना स्पष्ट है। अतः यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्पकोर्ट में पत्रावली नियत करने से पूर्व प्रार्थी को समुचित सूचना नहीं दी गई है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ए0आई0आर 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 1400 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। हम इस तर्क से सहमत है कि वकील की गलती की सजा मुव्वकिल को नहीं दी जा सकती है। हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाती हैं एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 253/2012 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018, को निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि प्रस्तुत प्रकरण को पुनः</p>	

[Signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

15/06/25

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

दर्ज कर अपीलांत/ प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत निस्तारण करें। निर्णय एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे।
मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपान प्राधिकारी,
अजमेर